Under CSR Support by
ipca | Foundation

missiongyan
LET'S LEARN TOGETHER



कक्षा - 11

व्यवसाय अध्ययन

व्यवसाय के आधार – 1

अध्याय-6 : व्यवसाय का सामाजिक उत्तरदायित्व एवं व्यावसायिक नैतिकता

भाग – 8

व्यवसाय नैतिकता

(निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व)

रूचिका सैनी

Under CSR Support by
ipca | Foundation

विवरण (Overview)

missiongyan
LET'S LEARN TOGETHER



1. सामाजिक उत्तरदायित्व की अवधारणा
2. सामाजिक उत्तरदायित्व की आवश्यकता
3. सामाजिक उत्तरदायित्व के पक्ष में तर्क
4. सामाजिक उत्तरदायित्व के विपक्ष में तर्क
5. सामाजिक उत्तरदायित्व की यथार्थवादिता
6. सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रकार
7. व्यवसाय का विभिन्न संबंधित वर्गों के प्रति उत्तरदायित्व
8. व्यवसाय तथा पर्यावरण संरक्षण
9. व्यवसाय नैतिकता

Under CSR Support by ipca | Foundation

missiongyan LET'S LEARN TOGETHER



निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR)

- कंपनियाँ निरंतर विकास, आर्थिक प्रगति, सामाजिक प्रगति व पर्यावरण संरक्षण में संतुलन स्थापित करती हैं।
- CSR की कोई सार्वभौमिक परिभाषा नहीं है, यह समाज पर प्रभाव और अपेक्षाओं पर आधारित है।

Under CSR Support by ipca Foundation

missiongyan LET'S LEARN TOGETHER



मुख्य परिभाषाएँ

- यूरोपीय संघ : "समाज पर प्रभाव हेतु उपक्रमों की जिम्मेदारी।"
- विश्व व्यवसाय परिषद : "व्यवसाय की आर्थिक विकास हेतु निरंतर प्रतिबद्धता, जिससे कर्मचारियों, परिवारों व समाज का जीवन स्तर सुधरे।"

Under CSR Support by ipca | Foundation

missiongyan LET'S LEARN TOGETHER



- **संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन :**

"एक प्रबंध अवधारणा, जिससे कंपनियाँ सामाजिक व पर्यावरणीय सरोकारों को व्यावसायिक प्रचालनों में एकीकृत करती हैं और हितधारकों से संवाद करती हैं।"

- CSR को एक ऐसा माध्यम माना जाता है जिससे कंपनी आर्थिक, सामाजिक व पर्यावरणीय आवश्यकताओं के बीच संतुलन स्थापित करती है।
- CSR दान, प्रायोजन व परोपकार से भिन्न है और उससे कहीं आगे की अवधारणा है।

Under CSR Support by ipca | Foundation

missiongyan LET'S LEARN TOGETHER



भारत में CSR (कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार)

- CSR का प्रावधान कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 में है।
- लागू होने की शर्तें :

वार्षिक टर्नओवर ₹10000 करोड़ या अधिक	शुद्ध मूल्य ₹500 करोड़ या अधिक	शुद्ध लाभ ₹5 करोड़ या अधिक

Under CSR Support by ipca | Foundation

missiongyan



1. कंपनियों को CSR समिति बनानी होगी, जिसमें कम से कम एक स्वतंत्र निदेशक हो।
2. कंपनियों को पिछले तीन वर्षों के औसत शुद्ध लाभ का 2% CSR पर व्यय करना
3. CSR की मान्य गतिविधियाँ अधिनियम की अनुसूची VII में दी गई हैं।
4. केवल भारत में की गई CSR क्रियाएँ ही मान्य होंगी।
5. केवल कर्मचारियों व उनके परिवारों के लिए की गई गतिविधियाँ CSR में योग्य नहीं मानी जाएँगी।

Under CSR Support by
ipca | Foundation

सीखने के प्रतिफल (Learning Outcome)

missiongyan
LET'S LEARN TOGETHER

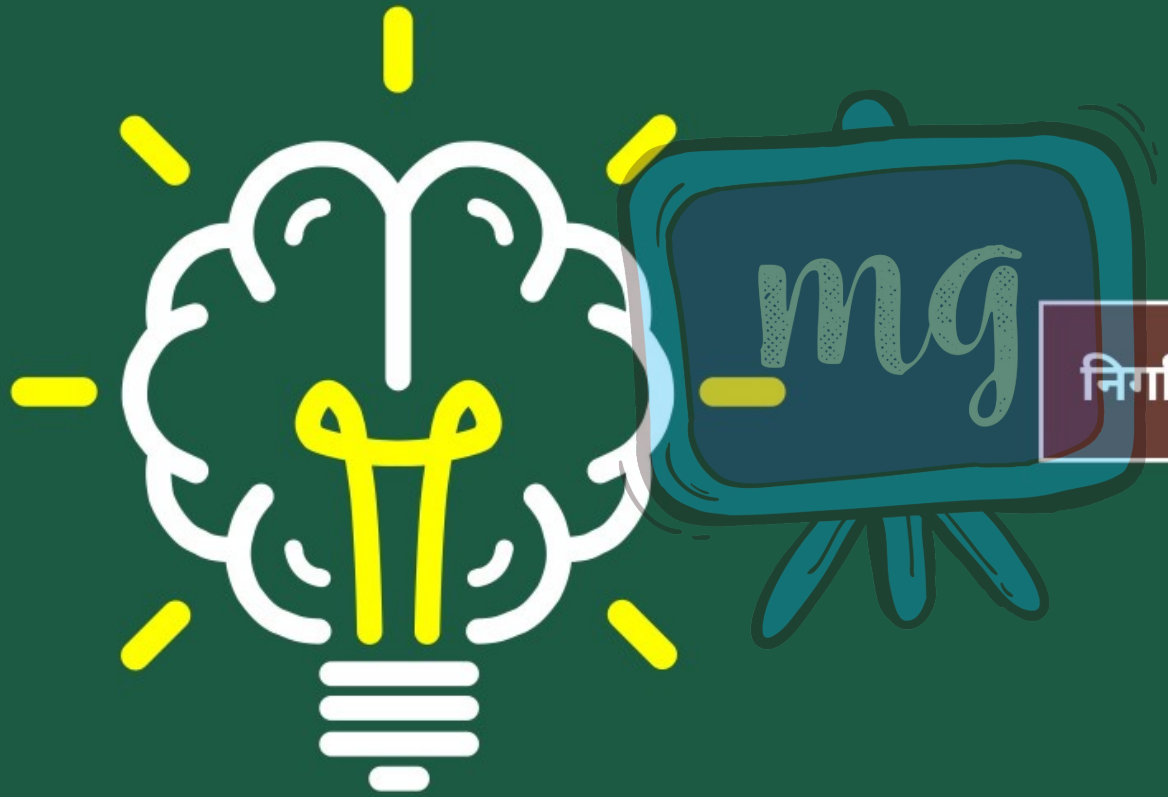

निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व

Under CSR Support by
ipca | Foundation

मूल्यांकन (Assessment)

missiongyan
LET'S LEARN TOGETHER



1 CSR का प्रावधान है।

अ साझेदारी अधिनियम, 1932

ब कंपनी अधिनियम, 2013 (ब)

स कंपनी अधिनियम, 1956

द सहकारी समिति अधिनियम, 1912

Under CSR Support by
ipca | Foundation

मूल्यांकन (Assessment)

missiongyan
LET'S LEARN TOGETHER



2 कंपनियाँ औसत शुद्ध लाभ का कितने प्रतिशत CSR पर व्यय करती है?

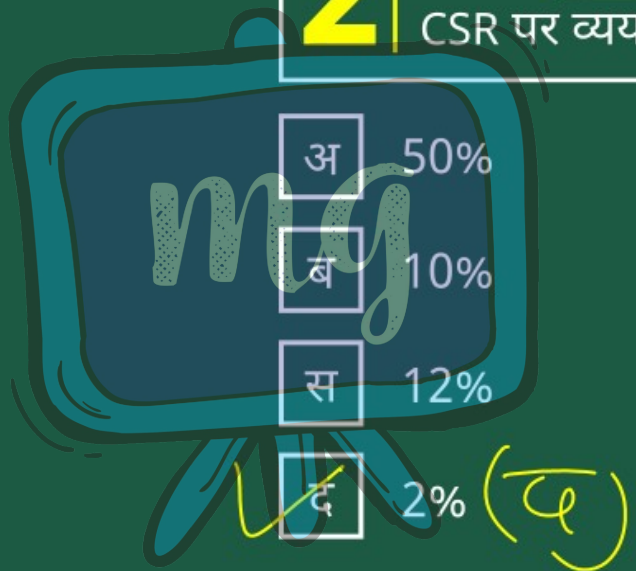

- अ 50%
- ब 10%
- स 12%
- द 2%

Under CSR Support by ipca | Foundation

मूल्यांकन (Assessment)

missiongyan LET'S LEARN TOGETHER



3 भारत में CSR के लिए शर्तें है।

अ वार्षिक टर्नओवर रु. 10000 करोड़ या अधिक

ब शुद्ध मूल्य 500 करोड़ या अधिक

स शुद्ध लाभ 5 करोड़ या अधिक

द उपर्युक्त सभी (द)

अभ्यास प्रश्न



6. कंपनी अधिनियम-2013 के अनुसार निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व को परिभाषित करें।

उत्तर : कंपनी अधिनियम-2013 के अनुसार, जिन कंपनियों का नेट वर्थ ₹500 करोड़ या टर्नओवर ₹10000 करोड़ या शुद्ध लाभ ₹5 करोड़ या उससे अधिक हो, उन्हें CSR समिति बनानी होती है और पिछले तीन वर्षों के औसत शुद्ध लाभ का कम से कम 2% सामाजिक उत्तरदायित्व पर व्यय करना होता है।